अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 2006

का.आ. 1827(अ).— जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (i) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 20 सितम्बर, 2001 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 901 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने मदर कृष्णाबाई रूरल डवलपमेंट ट्रस्ट, रामनगर, आनंदाश्रम पो0आ0, कान्हागढ़-671531, केरल द्वारा केरल के कासरगद, जिला तथा देश के अन्य भागों में निराश्रितों के लिए रैन बसेरा, कुओं, शौचालयों के निर्माण तथा कल्याणकारी कार्यकलापों के लिए अन्य संस्थाओं को सहायता की परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 2002-03 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 5 पर विनिर्दिष्ट किया था; जिसे बाद में दिनांक 23 मार्च, 2005 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 376 (अ0) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2005-2006 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से ती वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया था ;

और जबकि दिनांक 22 जनवरी, , 2003 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 65 (अ0) अनुमानित लागत को 55.00 लाख रूपये से बढ़ाकर 130.00 लाख रूपये किया गया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छह वर्षो से अधिक समय तक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है,इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने और परियोजना लागत को " 130.00 लाख रूपए" से संशोधित कर " 200.00 लाख रूपए" करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए:-

(क) मदर कृष्णाबाई रूरल डवलपमेंट ट्रस्ट, रामनगर, आनंदाश्रम पो0आ0, कान्हागढ़-671531, केरल द्वारा केरल के कासरगद, जिला तथा देश के अन्य भागों में निराश्रितों के लिए रैन बसेरा, कुओं, शौचालयों के निर्माण तथा कल्याणकारी कार्यकलापों के लिए अन्य संस्थाओं को सहायता की परियोजना या स्कीम को वित्तीय वर्ष 2006-2007 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ; और

(ख) दिनांक 20 सितम्बर, 2001 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 901(अ0) में निम्नलिखित प्रभाव से संशोधन करती है नामतः

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम संख्या 4 के सामने धारा 35 क ग के अंतर्गत कटौती के रूप में अनुमत्य लागत की अधिकतम राशि संबंधी कॉलम (4) में" 130.00 लाख रूपये से बढ़ाकर 200.00 लाख रूपये " अक्षर, अंक तथा शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[सं. 294/2006/फा. सं. एनसी-274/03/2006]
सुनील चन्द्र शर्मा, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)